



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082022-237950  
CG-DL-E-05082022-237950

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192]  
No. 192]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 5, 2022/श्रावण 14, 1944  
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 5, 2022/SHRAVANA 14, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)  
सार्वजनिक सूचना  
नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2022  
सं. 21/2015-2020

विषय: मौजूदा विदेश व्यापार नीति के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 में जारी किए गए स्तर प्रमाण-पत्र की वैधता को बढ़ाना।

फा. सं. 01/61/180/246/एम-20/पीसी-3.—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (2015-2020) के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक, 2015-20 के पैरा 3.20(क) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

प्रक्रिया पुस्तक का मौजूदा पैरा 3.20(क)	प्रक्रिया पुस्तक का संशोधित पैरा 3.20(क)
3.20 स्तर प्रमाण-पत्र की वैधता (क) इस विदेश व्यापार नीति के तहत जारी स्तर प्रमाण-पत्र मान्यता के लिए आवेदन की तिथि या केवल 30.06.2022, जो भी बाद में हो, से 5 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा।	3.20 स्तर प्रमाण-पत्र की वैधता (क) इस विदेश व्यापार नीति के तहत जारी स्तर प्रमाण-पत्र मान्यता के लिए आवेदन की तिथि या केवल 30.09.2022, जो भी बाद में हो, से 5 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा।

सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के प्रावधानों के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 में जारी किए गए स्तर धारक प्रमाण-पत्रों की वैधता दिनांक 30.09.2022 तक बढ़ाई गई है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं  
पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department Of Commerce)**  
**(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)**

**PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 5th August, 2022

**No. 21 /2015-20**

**Subject : Extension of validity of Status Certificates issued in FY 2015-16 and 2016-17 under current FTP**

**F. No. 01/61/180/246/AM20/PC-3.**—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy (2015-2020), as amended from time to time, Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in para 3.20 (a) of the Handbook of Procedures, 2015-20 with immediate effect:

Existing para 3.20 (a) of HBP	Amended para 3.20 (a) of HBP
<p style="text-align: center;">3.20 Validity of status certificate</p> <p>(a) Status Certificates issued under this FTP shall be valid for a period of 5 years from the date on which application for recognition was filed or 30.06.2022 only whichever is later.</p>	<p style="text-align: center;">3.20 Validity of status certificate</p> <p>(a) Status Certificates issued under this FTP shall be valid for a period of 5 years from the date on which application for recognition was filed or <b>30.09.2022</b> only whichever is later.</p>

**Effect of Public Notice:** Validity of Status Holder Certificates issued in the FY 2015-16 and 2016-17 under the provisions of FTP 2015-20 has been extended upto 30.09.2022.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade  
& Ex-Officio Addl. Secy.